



महाराष्ट्र MAHARASHTRA कर्ज / ... 2023 77AA 607708  
मुद्रांक विकत घेवपाच्याचे नांव :- यु. वी. नोंदवही  
दुसऱ्या पक्षाच्या नावाचे नांव :- श्री. वी. नोंदवही  
हस्त अस्त्यास त्याचे नाव व पत्ता :- श्री. वी. नोंदवही  
मु.वि. नोंदवही अ. नं. ... दि. 11 JAN 2024  
एस. एस. गांधी, सावेडी, अहमदनगर  
बरबाना क. लायसन्स नं. २/१७/२७०२-११/१७  
ज्या कारणासाठी ज्यांनी मुद्रांक खरेदी केला त्यांनी त्याच कारणासाठी  
मुद्रांक खरेदी केल्यापासून ६ महिन्यांत वापरणे बंधनकारक आहे.

जिल्हा कोषागार कार्यालय  
अहमदनगर  
पु.दिनांक  
09 JAN 2024  
मु.प्र.लि.

### समन्वय अनुबंध

(सामंजस्य करार)

### (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

शिवाजी विद्यापीठ हिंदी प्राध्यापक परिषद,  
विमल निवास, प्लॉट नं. 13 त्रिमूर्ति कॉलनी, सांगली.  
(पंजीकरण-महाराष्ट्र / 433/14)

और

रयत शिक्षण संस्था का राधाबाई काळे महिला महाविद्यालय, अहमदनगर पिन. 414001



भारत जैसे विशाल और बहुभाषी राष्ट्र को अपनी अस्मिता, राष्ट्रीय एकता तथा अंतर्प्रान्तीय व्यवहार के लिए राष्ट्रभाषा की नितांत आवश्यकता है। सैकड़ों वर्षों से हिंदी यह कार्य करती आयी है। 'शिवाजी विद्यापीठ हिंदी प्राध्यापक परिषद, सांगली' यह संस्था महाराष्ट्र में राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार करनेवाली एक समाजसेवी परिषद है। इस परिषद द्वारा वार्षिक अधिवेशन, राष्ट्रीय संगोष्ठी, पुनर्रचित पाठ्यक्रम संबंधी कार्यशाला आदि के संयोजन के लिए बौद्धिक सहयोग दिया जाता है। भविष्य में विभिन्न प्रकार की व्याख्यानमालाएँ, संमेलन, परिसंवाद, साप्ताहिक कोर्स, वक्तृत्व, लेखन, पठन, मंचन आदि प्रतियोगिताओं के आयोजन का भी मानस है।

संक्षेप में 'शिवाजी विद्यापीठ हिंदी प्राध्यापक परिषद' राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षिक कार्यप्रवृत्तियों का संचालन करनेवाली तथा राष्ट्रीय एकात्मता को बढ़ावा देने का सराहनीय कार्य कर रही है। यह परिषद 'हिंदी है हम' इस नारे को जनमानस पर अंकित कर रही है।

अतः 'शिवाजी विद्यापीठ हिंदी प्राध्यापक परिषद, सांगली' और रयत शिक्षण संस्था का राधाबाई काळे महिला महाविद्यालय, अहमदनगर के बीच शुक्रवार दि. 12 जनवरी, 2024 को पांच वर्षों (सन. 2023 से 2029) तक के लिए समन्वय (सामंजस्य करार) संपन्न हो रहा है। इस अनुबंध का उद्देश्य निम्ननुसार स्पष्ट है।

#### क) नीति :

1. हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति का संवर्धन करना | राष्ट्रभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करना, जिससे राष्ट्रभाषा का स्वरूप सर्वग्राह्य बन सके।
2. राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास देश की अन्य प्रादेशिक भाषाओं के संपर्क और उनके विकास के साथ संपन्न होता रहे।
3. अहिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी को प्रचारित प्रसारित कर राष्ट्रभाषा के महत्व को स्थापित करना।
4. अन्य प्रदेशों में प्रादेशिक भाषाओं का स्थान और सम्मान बना रहे तथा अंतर्प्रान्तीय व्यवहार के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रयोग हो।
5. राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रयोग द्वारा राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण हो।

#### ख) उद्देश्य :

1. राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार करना तथा भारतीय संविधान के 17 वे भाग के 343 वी धारा में निर्देशित राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी के प्रचार और विकास में सहायता प्रदान करना
2. राजभाषा हिंदी की पढाई का प्रावधान करना।
3. हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति का संवर्धन करना।
4. भारत में प्रचलित सभी भाषाओं, विशेष रूप से मराठी भाषा के द्वारा हिंदी के विकास में सहायता

